राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

'बाल संरक्षण' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,

जिला बीकानेर 08 अक्टूबर 2017

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से **'बाल संरक्षण'** विषय पर दिनांक 08.10.2017 को बीकानेर जिले के पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण बीकानेर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के आरम्भ में धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर के द्वारा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों के साथ व्यवहारों के लिए दक्षता देना तथा उन पर लागू कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों की जानकारी देना बताया जिससे कि समस्त हित धारक बाल अधिकारों एवं पुलिस प्रक्रियाओं में व्याप्त अन्तर को ठीक कर बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य कर सके। यदुराज शर्मा, सलाहकार यूनिसेफ ने बाल अधिकारों पर व्याख्यान दिया जिसमें बच्चों को यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के बिना प्राप्त होने की बात कही। उन्होने बच्चों को अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने एवं उनके उपयुक्त शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न पहलूओं पर बात कही।

सवाई सिंह, पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए बच्चों को देश के भविष्य बताते हुए उनकी सुरक्षा का मुख्य दायित्व पुलिस का बताया। उन्होने पुलिस सहित सभी विभागों को बच्चों के प्रकरणों में संवेदनशील होकर मामलों का निस्तारण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जारे दिया। विश्वास शर्मा, सलाहकार, आरपीए, जयपुर ने बाल मजदूरी का बच्चों पर पडने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए बालश्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के बारे में बताया। उन्होने अधिनियम में बच्चों के काम के घण्टों, न्यून्तम मजदूरी और स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही। योगेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, बीकानेर ने कहा कि साझी रणनीति एवं संवेदनशीलता से ही बच्चों की बेहतरी सुनिश्चित

की जा सकेगी। उन्होने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम 2015 पर चर्चा करते बाल कल्याण समिति के कार्यो एवं पुलिस की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। श्रीमती नीलू सेठिया, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर न्याय बोर्ड एवं पोक्सो एक्ट की कार्यावाहियों एवं पीडितों की सामाजिक एवं मनस्थितियों के बारे में बताया।

धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने बाल विवाह पर पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं के बारे में जानकारियां दी। महिला एवं बाल डेस्क की अवधारणा, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने पीड़ित बालिकाओं के सम्बन्ध में प्रक्रियाओं के साथ ही मानसिक सलाह एवं परामर्श की पुनर्वास में महिला एवं बाल डेस्क की अधिक व्यावहारिक भूमिकाएं बतायी।

श्री राजीव दासोत, अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक आर.पी.ए., जयपुर ने समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों एवं अन्य हित धारकों को बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अधिक संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत है। विपिन कुमार पाण्डेय, आईजीपी, बीकानेर रेन्ज ने जिले में बाल संरक्षण के लिए ओर अधिक प्रयासों की जरूरत बताते हुए बच्चों के लिए संवेदनशील होकर कार्य करने के लिए कहा साथ ही पुनर्वास के लिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श एवं पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता बतायी एवं बच्चों की एवं बच्चों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सूचनाएं पंहुचाने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं यूनिसेफ के सहयोग से पुलिस अधीक्षक बीकानेर श्री सवाई सिंह के प्रबन्धन सहयोग के अन्तर्गत किया गया एवं कमाडेन्ट पी.एम.डी.एस. श्री खींव सिंह भाटी व उनकी टीम की भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रशिक्षण का आयोजन धीरज वर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया। जिसके स्थानीय नोडल अधिकारी नाजिम अली, अति. पुलिस अधीक्षक, बीकानेर शहर रहे। आर.पी.ए. की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में यदुराज शर्मा, विश्वास शर्मा, एवं अशोक शर्मा ने समन्वयन के लिए कार्य किया। प्रशिक्षण में जिले के पुलिस अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं सदस्य एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के 54 सदस्यों ने भाग लिया।